

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 ऐक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-4,
उन्नाव।

पीठासीन अधिकारी- श्री रामराज-II, (उच्चतर न्यायिक सेवा) - **UP06491**

फौजदारी मुत0 वाद सं0-418/26 (अन्तिम रिपोर्ट)

मो0 आसिफ ---बनाम--- राजेश कुमार,

अ0सं0-1237/23,

धारा-135 भा0 वि0 अधि0,

थाना- एन्टी पावर थेफ्ट,

जिला- उन्नाव।

दि0-09.05.2026

आज पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत में पत्रावली पेश हुयी। पत्रावली का अवलोकन किया। दौरान विवेचना अभियुक्त द्वारा देय राजस्व निर्धारण शुल्क व शमन शुल्क विद्युत विभाग में जमा कर दिये जाने एवं अपराध शमनीय होने के आधार पर विवेचक द्वारा अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। विद्युत विभाग की ओर से आदेश पत्र पर पृष्ठांकित किया गया कि "अभियुक्त द्वारा राजस्व निर्धारण शमन शुल्क विद्युत विभाग में जमा कर दिया गया है। अन्तिम आख्या रिपोर्ट स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं है।"

ऐसी स्थिति में अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार की जाती है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(रामराज-II),
विशेष न्यायाधीश (ई0सी0 ऐक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट सं0-4, उन्नाव।